UPSP010085352017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी– श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)यू.पी. 3845
सत्र परीक्षण संख्या 591/2017

उत्तर प्रदेश राज्य ..... **अभियोजन।**

बनाम

1. सोनू पुत्र काला निवासी ग्राम दाबकी गुर्जर, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।
2. अंकित पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम तिरपडी, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

..... **अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्याः– 263/2016
धाराः–392,411,506 भा0दं0सं0
थानाः कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर।

महत्वपूर्ण तिथियां एवं घटनायें

क्रम सं.	तिथि	घटना
1.	16.05.2016	घटना की दिनांक
2.	16.05.2016	प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत
3.	24.12.2016	आरोप पत्र प्रेषित एवं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान
4.	30.10.2017	सत्र सुपुर्दगी
5.	28.02.2019	आरोप विरचित
6.	30.04.2026	बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0
7.	29.07.2026	बहस पूर्ण हुई, निर्णय सुरक्षित।
8.	31.07.2026	निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0 263/2016 सरकार बनाम सोनू आदि अन्तर्गत धारा 392,411,506 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.10.2017 सत्र परीक्षण संख्या 591/2017 में पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.10.2017 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

उपस्थिति– राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सतीश सैनी।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री के.के. जैसवाल

निर्णय

1. पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 263/2016** में आरोप पत्र **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध अन्तर्गत **धारा 392,411,506 भा0दं0सं0** में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. मुकदमा अपराध संख्या 263/2016 अन्तर्गत धारा 392,411,506 भा0दं0सं0 के अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर द्वारा दिनांक 30.10.2017 को सत्र सुपुर्द किया गया। इस न्यायालय को उपरोक्त सत्र वाद माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

3. शिकायतकर्ता बाबूराम पुत्र स्व0 श्री जुल्फी सिंह की तहरीर अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 16.05.2016 को लगभग 01:30 बजे रजवाहा पटरी से रामनगर की ओर से जा रहा था। मेरे पास एक्टिवा जिसका रंग सफेद व नम्बर यूपी11 ए.एक्स. 5971 उसकी डिक्की में चार लाख रूपये नकद रखे थे, जैसे ही वह रामनगर से थोडा पहले था एक काली प्लसर पर सवार दो युवक उम्र लगभग तीस वर्ष के मेरी स्कूटी के आगे लगाकर रोक दिया व पिस्टल प्रार्थी के ऊपर लगाकर एक्टिवा की चाबी मांगी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए एक्टिवा की चाबी छीन ली और रामनगर की ओर एक्टिवा छीनकर भाग गये। प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

4. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में दिनांक 16.05.2016 को समय 14:20 बजे **प्राथमिकी प्रदर्श क–1** मुकदमा अपराध संख्या 263/2016 धारा 392,411,506 भा0दं0सं0 पंजीकृत करायी गयी, जिसकी प्रविष्टी उसी समय कायमी **जी0डी0 प्रदर्श क–2** में की गई।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा बाद विवेचना संकलित साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत **धारा 392,411,506 भा0दं0सं0** में न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत **धारा** 392,411,506 **भा0दं0सं0 दिनांक 28.02.2019** को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

7. आरोप को साबित करने के लिए **अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य** में औपचारिक गवाहों सहित तथ्यों के निम्नलिखित साक्षीगण को शपथ पर परीक्षित कराया गया–

क्रम सं0	**साक्षीगण के नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**
1	विमल पंवार	पी0डब्लू0 –1
2	सैय्यद हशामुद्दीन	पी0डब्लू0 –2
3	निरीक्षक देवेन्द्र यादव	पी0डब्लू0 –3

8. मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित **अभिलेखीय साक्ष्य** भी प्रस्तुत किये हैं–

क्रम सं	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
1	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 –1
2	जी.डी.	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 –1
3	चिक (मु.अ.सं.502/2016)	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 –1
4	चिक (मु.अ.सं.503/2016)	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 –1
5	सीडी नं08(मु.अ.सं.502,503/2016)का खुलसा	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 –1

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त **अभियुक्तगण सोनू व अंकित** का बयान **अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0** दिनांक 30.04.2024 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को

गलत व झूठ कहा है। अभियुक्त सोनू ने साक्षी पी0डब्लू01 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत मुकदमे दर्ज किये गये तथा अभियुक्त अंकित ने कथन किया है कि झूठा बयान दिया व गलत प्रपत्र तैयार किये व सत्यापित किये। अभियुक्त सोनू ने साक्षी पी0डब्लू02 के बयान के संबंध में कथन किया है कि विवेचना सही नही की गई है, गलत तरीके से न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है तथा अभियुक्त अंकित ने कथन किया है कि गलत विवेचना की है। अभियुक्त सोनू ने साक्षी पी0डब्लू03 के बयान के संबंध में कथन किया है कि गलत तरीके से बनाया होना बताया है, ऐसी कोई जांच नही हुई जो गलत है तथा अभियुक्त अंकित ने कथन किया है कि गलत विवेचना की। अभियुक्तगण ने गवाहान रंजिशन झूठी गवाही देते है, मुकदमा रंजिशन व झूठा चले। अभियुक्तगण ने सफाई देने का कथन किया तथा अभियुक्त सोनू ने अपने विशेष कथन में कहा है कि वह निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है। अभियुक्त अंकित ने अपने विशेष कथन में कहा है कि वह जाति से बाल्मिकी है। मजदूरी करता है, पुलिस वालो को अवैध रूप से पैसे नही दे सका, जिस कारण गलत फसाया है।

10. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया।

11. अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समस्त अभियोजन साक्षीगण एवं प्रपत्र अभियोजन कथानक का समर्थन करते है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सोनू व अंकित को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

12. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोप साबित नहीं हो पाया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

13. विधि व्यवस्था–**भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1976 इलाहाबाद केसेस सु0को0 1** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि–अभियोजन को अपने साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होगा। उसे बचावपक्ष के कमियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। विधि व्यवस्था–**लतेश उर्फ दादू बाबूराव कारलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018(1) सुप्रीम 524** में कहा है कि–The reasonableness of a doubt must be a practical one and not on an abstract theoretical hypothesis. Reasonableness is a virtue that forms as a mean between excessive caution and excessive indifference to a doubt. इसी प्रकार विधि व्यवस्था–**नरेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(4) सुप्रीम 482** में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी घटना में उसकी भूमिका एवं संलिप्तता युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित नहीं हो जाता। विधि व्यवस्थाः– **सुरेशचन्द्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2017 (68) SCALE 697** में कहा है कि– "...it is not every doubt but only reasonable doubt of which benefit can be given to the accused... which is the doubt which rational thinking man would reasonably, honestly and conscientiously entertain and not the doubt of a vacillating mind that has no moral courage and prefers to take shelter itself in a vain and idle Scepticism." विधि व्यवस्था–**जैकाम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. 289 सुप्रीम कोर्ट** में कहा है कि burden lies on the prosecution to prove the allegations beyond reasonable doubt. Accused has only to create a doubt about the prosecution case and the probability of defence. An accused is not required to establish or prove his defence beyond reasonable doubt, unlike the prosecution.

14. अभियोजन को युक्ति युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि दिनांक 16.05.2016 को समय करीब 01:30 दिन स्थान राजवाहा पटरी से रामनगर की ओर क्षेत्र थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

में आपने एक साथ मिलकर वादी मुकदमा बाबूराम से उसकी एक्टिवा रंग सफेद जिसकी डिग्गी में चार लाख रूपये नकद रखे हुए थे, वादी मुकदमा से लूटकर ले गये, जानसे मारने की धमकी दी तथा वादी मुकदमा से लूटे गये रूपयो में सोनू के कब्जे से अंकन एक हजार पांच सौ रूपये एवं अंकित के कब्जे से अंकन एक हजार पांच सौ रूपये बरामद हुए।

15. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु जो साक्षी परीक्षित कराये गये है, उनकी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

16. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 1 विमल कुमार, मुख्य आरक्षी** ने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया कि **"** दिनांक 16.05.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर कांस्टेबल क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन थाने पर बाबूराम पुत्र जुल्फी सिंह निवासी हकीकत नगर, सहारनपुर एक हस्तलिखित तहरीर लेकर आया था। एस.एच.ओ. के मौखिक आदेश पर तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मु0अ0सं0 263/2016 अन्तर्गत धारा 392,506 भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा उसके द्वारा जीडी नं0 32 पर किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 4क/1 ता 4क/3 देखकर कहा कि यह वही चिक है जो उसके द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर थाने की मोहर है तथा प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। जी.डी. पत्रावली पर कागज संख्या 4क/3 है जिस पर थाने की मोहर है, जिसको वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। कांस्टेबल सुखबीर की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 28.10.2016 को सुखबीर सिंह द्वारा एस.आई. लविक त्यागी की फर्द जामातलाशी व बरामदगी के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर गौरव तोमर द्वारा बोल–बोल कर कांस्टेबल सुखबीर से मु0अ0सं0 502/2016 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम सोनू व मु0अ0सं0 503/2016 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अंकित पंजीकृत किया गया था, जिसका खुलासा सुखबीर सिंह द्वारा जीडी नं0 10 पर किया गया था। मु0अ0सं0 502/2016 की चिक पत्रावली संख्या 593/1 बनाम सोनू पर कागज संख्या 4/1 ता 4/2 है, जिस पर एस.आई. वीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह पहचानता है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मु0अ0सं0 503/2016 की चिक पत्रावली संख्या 594/2017 पर कागज संख्या 4/1 ता 4/2 है जिस पर वीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर व मोहर है, जिन्हें वह पहचानता है, शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। उपरोक्त दोनो मुकदमो का खुलासा सुखबीर सिहं द्वारा सीडी नं08 पर किया गया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 4/3 है, जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।**"**

17. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि **"**इस मुकदमे से पहले मैं थाने पर पांच माह पूर्व तैनात था। इस मु0अ0सं0 के वादी का नाम मुझे याद नही। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2016 को वादी मुकदमा लेकर आये थे। उसके साथ कौन–कौन थे उनके नाम मुझे पता नही। वादी मुकदमा ने मुझे किसी अभियुक्त का नाम नही बताया था। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मैने जी.डी. में इन्द्राज किया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। उपरोक्त वाद में मैं विवेचना में शामिल नही रहा। जी.डी. में इन्द्राज के अलावा मेरा कोई रोल नही है। उपरोक्त घटना से 5–6 महीने से पहले थाने पर तैनात था। यह मेरे सकेन्डरी बयान है। मेरे समय सुखबीर मुन्शी द्वारा कोई तहरीर नही दी थी और उपरोक्त मुकदमात से संबंधित माल मुकदमा मेरे सामने लिखा गया, लेकिन कोई माल मेरे सामने बरामद नही हुआ, जो एस.आई. द्वारा फर्द बरामदगी तैयार कराई गई थी वह मेरे द्वारा जी.डी. व कम्प्यूटर में मेरे द्वारा नही कराई गयी थी। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक ने मेरा कभी कोई बयान नही लिया। इस पूर्व विवेचना में मेरा कोई रोल नही रहा। सुखबीर सिंह के द्वारा फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर मेरे सामने कराये गये थे। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण सोनू व अंकित से कोई माल बरामद नही किया गया है न ही गिरफ्तारी की गई है।**"**

18. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 2 सैय्यद हशमुद्दीन हाल तैनात पुलिस लाईन बुलंदशहर** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 07.09.2016 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर एस.आई. नियुक्त था। थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2016 अन्तर्गत धारा 392,506 भा0दं0सं0 की विवेचना उससे पूर्व विवेचक वी.के. गौतम द्वारा की जा रही थी, से प्राप्त कर बनाम अज्ञात अभियुक्त

से संबंधित विवेचना ग्रहण की गयी, जिसमें सीडी संख्या–7 दिनांक 07.09.2016 को किता किया गया तथा दिनांक 09.09.2016 को सीडी संख्या–8 किता किया गया जिसमें पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया गया तथा मुखबिर तलाश माल मुलजिम हेतु मामूर किये गये। तत्पश्चात सीडी संख्या–9 16.09.2016 को किता किया जिसमें वादी की स्कूटी की आर.सी. व अन्य प्रपत्र की मांग वादी के मिलने पर लिया जाएगा। पुनः माल मुलजिम की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किया गया। सीडी संख्या–10 दिनांक 25.09.2016 को किता किया गया, जिसमें बयान मजीद, बयान वादी अंकित किया गया तथा वादी बाबूराम ने अपने मजीद बयान में बताया कि बदमाशो (अज्ञात)ने अपने चेहरो पर रूमाल लगा रखा था। इसलिए वह उन्हें नही पहचान सकता। तत्पश्चात वादी को किसी पर शक होने पर उसका पता बताने तथा मुंशी अनिल गुप्ता व कैन्टीन कर्मचारी का मोबाईल नम्बर न याद होने पर वादी द्वारा मोबाईल नम्बर नही दिया गया। सीडी नं011 दिनांक 27.09.2016 को किता किया गया, जिसमें कोई प्रगति नही हो पायी। सीडी नं012 दिनांक 05.10.2016 को किता की गयी जिसमें थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अ0सं0 72 व 73 क्रमशः धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियुक्तगण विकास पुत्र धीरज पाल निवासी ग्राम नानक विहार, बहादराबाद, रानीपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड व अभियुक्त आमिर खां पुत्र गयाशुद्दीन निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर से व्हाटसेप के आधार पर वादी मुकदमा को दिखाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया परन्तु शिनाख्त नही किया गया। क्योंकि घटना के समय मुलजिमान ने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। सीडी संख्या–13 दिनांक 15.10.2016 को किता किया गया जिसमें कोई प्रगति नही हो पायी। गवाह अनिल गुप्ता व मुंशी धर्मेन्द्र को तलब किया गया नही आये। स्थानांतरण के कारण विवेचना किसी अन्य विवेचक द्वारा की गयी। कि

19. बचाव पक्ष की तरफ से की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि **"**मैं उक्त थाने पर स्थानांतरण होकर आया था। मेरे से पहले उक्त मुकदमे की विवेचना चल रही थी। उक्त विवेचना मुझे उक्त केस के बीच ही मिली थी। उक्त वाद के अभियुक्त की गिरफ्तारी मेरे द्वारा नही ी गयी और न ही मेरे द्वारा कोई बरामदगी की गयी और मैने उपरोक्त मुकदमे से संबंधित नक्शा नजरी तैयार नही की और न ही मेरे द्वारा आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया।**"**

20. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0 3 निरीक्षक देवेन्द्र यादव** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 28.10.2016 को वह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना दिनांक 18.10.2016 को उसके द्वारा ग्रहण की गई एवं पर्चा सीडी संख्या–14 किता किया गया। पूर्व विवेचक द्वारा किता की गई सीडी का अवलोकन किया गया। पर्चा नं015 दिनांक 28.10.2016 को किता किया, जिसमें अभ्युक्तगण सोनू व अंकित से पूछ–ताछ की गई तथा उनके बयान अंकित किये।

21. बचाव पक्ष की ओर से की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि **"**मैं थाना कोतवाली देहात में नियुक्ति से पूर्व थाना सरसावा पर बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। अभियुक्तगण को एस.आई. लविक त्यगाी द्वारा गिरफ्तार कर थाने लाया गया था, जब मैने अभियुक्तगण से पूछ–ताछ की तो वह थाने की हवालात में बंद थे। मेरे सामने बयान से पूर्व अभियुक्तगण की जामातलाशी नही ली गई थी। मेरे द्वारा एस.आई. लविक त्यागी के द्वारा की गई गिरफ्तारी के संबंध में कोई जांच अपने स्तर से नही की गई थी। मैने एस.आई. लविक त्यागी के द्वारा की गई गिरफ्तारी सही मानकर अभियुक्तगण से पूछ–ताछ की थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी गलत दिखाई गई हो और मैने पुलिस कारगुजारी दिखाने के लिये गलत पूछ–ताछ करना दिखाया हो। मैने अभियुक्तगण से कोई पूछताछ न की हो और कुल कार्यवाही थाने बैठकर झूठी व फर्जी की हो।**"**

22. अभियोजन की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) **श्री सतीश कुमार सैनी** एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री के.के. जैसवाल** को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

23. बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना का एक मात्र चक्षुदर्शी, वादी

मुकदमा बाबू राम को परीक्षित नही कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त नही की गयी है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392 भा0ंद0ंस0 एवं धारा 506 भा0ंद0ंस0 का अपराध साबित नही है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा बाबूराम द्वारा तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 16.05.2016 को लगभग 01:30 बजे रजवाहा पटरी से रामनगर की ओर से जा रहा था। मेरे पास एक्टिवा जिसका रंग सफेद व नम्बर यूपी11 ए.एक्स. 5971 उसकी डिक्की में चार लाख रूपये नकद रखे थे, जैसे ही वह रामनगर से थोडा पहले था एक काली प्लसर पर सवार दो युवक उम्र लगभग तीस वर्ष के मेरी स्कूटी के आगे लगाकर रोक दिया व पिस्टल प्रार्थी के ऊपर लगाकर एक्टिवा की चाबी मांगी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए एक्टिवा की चाबी छीन ली और रामनगर की ओर एक्टिवा छीनकर भाग गये।

25. अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा बाबूराम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया, जिससे तहरीर में किये गये कथनो की पुष्टि की जाती। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्षीगण पी0डब्लू01 विमल कुमार, मुख्य आरक्षी को बतौर चिक लेखक प्रस्तुत कराया गया, जिसके द्वारा प्रदर्श क–1 ता प्रदर्श क–5 साबित कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा साक्षी पी0डब्लू02 सैय्यद हशमुद्दीन को बतौर विवेचक प्रस्तुत कराया गया। साथ ही साक्षी संख्या–3 निरीक्षक देवेन्द्र यादव को बतौर विवेचक प्रस्तुत कराया गया। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई भी साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी वादी मुकदमा बाबूराम है। परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तहरीर को पत्रावली पर साबित नही कराया गया है। स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण की पहचान वादी मुकदमा द्वारा नही कराई गयी। वर्तमान प्रकरण में वादी मुकदमा घटना का एक मात्र स्वभाविक साक्षी है। अभियोजन कथानक अनुसार लूट की घटना वादी मुकदमा के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी एवं लूट कारित करते समय अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी गयी। यदि अभियोजन द्वारा घटना को संदेह से परे साबित कराना था तो इसका एक मात्र साक्षी वादी मुकदमा था। परन्तु अभियोजन द्वारा ऐसा नही किया गया, जिससे प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को साबित नहीं किया जा सका। इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना का एक मात्र चक्षुदर्शी, वादी मुकदमा बाबू राम को परीक्षित नही कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्त नही की गयी है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392 भा0ंद0ंस0 एवं धारा 506 भा0ंद0ंस0 का अपराध साबित नही है। उक्त तर्क का निस्तारण अभियुक्तगण के पक्ष एवं अभियोजन के प्रतिकूल किया जाता है।

26. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण से बरामदगी साबित नही है, जिसके कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 411 भा0ंद0ंस0 का अपराध सन्देह से परे साबित नही होता है।

27. अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 16.05.2016 को लगभग 01:30 बजे रजवाहा पटरी से रामनगर की ओर से जा रहा था। मेरे पास एक्टिवा जिसका रंग सफेद व नम्बर यूपी11 ए.एक्स. 5971 उसकी डिक्की में चार लाख रूपये नकद रखे थे, जैसे ही वह रामनगर से थोडा पहले था एक काली प्लसर पर सवार दो युवक उम्र लगभग तीस वर्ष के मेरी स्कूटी के आगे लगाकर रोक दिया व पिस्टल प्रार्थी के ऊपर लगाकर एक्टिवा की चाबी मांगी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए एक्टिवा की चाबी छीन ली और रामनगर की ओर एक्टिवा छीनकर भाग गये।

28. अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा जो घटना का एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कराया गया है। अन्य कोई घटना का चक्षुदर्शी साक्षी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है, जिससे वर्तमान प्रकरण में लूट की घटना साबित हो सके। साक्षी संख्या–1 चिक लेखक है, जिसके द्वारा कथित घ टना से संबंधित कोई उल्लेख अपने बयानो में नही किया गया है। साक्षी संख्या–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में

यह कथन किया है कि "इस मुकदमे से पहले मैं थाने पर पांच माह पूर्व तैनात था। इस मु0अ0सं0 के वादी का नाम मुझे याद नही। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2016 को वादी मुकदमा लेकर आये थे। उसके साथ कौन–कौन थे उनके नाम मुझे पता नही। वादी मुकदमा ने मुझे किसी अभियुक्त का नाम नही बताया था। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मैने जी.डी. में इन्द्राज किया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। उपरोक्त वाद में मैं विवेचना में शामिन नही रहा। जी.डी. में इन्द्राज के अलावा मेरा कोई रोल नही है। उपरोक्त घटना से 5–6 महीने से पहले थाने पर तैनात था। यह मेरे सकेन्डरी बयान है। मेरे समय सुखबीर मुन्शी द्वारा कोई तहरीर नही दी थी और उपरोक्त मुकदमात से संबंधित माल मुकदमा मेरे सामने लिखा गया, लेकिन कोई माल मेरे सामने बरामद नही हुआ, जो एस.आई. द्वारा फर्द बरामदगी तैयार कराई गई थी वह मेरे द्वारा जी.डी. व कम्प्यूटर में मेरे द्वारा नही कराई गयी थी। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक ने मेरा कभी कोई बयान नही लिया। इस पूर्व विवेचना में मेरा कोई रोल नही रहा। सुखबीर सिंह के द्वारा फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर मेरे सामने कराये गये थे। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण सोनू व अंकित से कोई माल बरामद नही किया गया है न ही गिरफ्तारी की गई है।" उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि साक्षी इस प्रकरण से संबंधित विवेचना में शामिल नही रहा है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि जी.डी. में इन्द्राज के अलावा उसका कोई ओर रोल नही है। घटना से संबंधित माल मुकदमा उसके सामने बरामद नही हुआ है। उक्त साक्षी द्वारा जो फर्द बरामदगी एस.आई. द्वारा तैयार की गई थी वो कम्प्यूटर पर चढाई गयी थी। उक्त साक्षी का कोई बयान विवेचना द्वारा कभी नही लिया गया। सुखबीर सिंह द्वारा फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर उसके समाने नही कराये गये थे।

29. साक्षी संख्या–2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि उससे पहले मुकदमे की विवेचना चल रही थी। उसको विवेचना बीच में मिली थी। वाद के अभियुक्त की गिरफ्तारी मेरे द्वारा नही की गयी और ना ही मेरे द्वारा कोई बरामदगी की गयी। उक्त साक्षी द्वारा घटना से संबंधित नक्शा नजरी तैयार नही किया गया और न ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

30. साक्षी संख्या–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना के बाद अभियुक्तगण को एस.आई. लविक त्यागी द्वारा गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया था। उक्त साक्षी के सामने बयान से पूर्व अभियुक्तगण की जामातलाशी नही ली गयी थी। उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि मैने एस. आई. लविक त्यागी के द्वारा गिरफ्तारी सही मानकर अभियुक्तगण से पूछ–ताछ की थी।

31. अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष एस.आई. लविक त्यागी को परीक्षित नहीं कराया गया। साक्षी संख्या–1, 2 व 3 के बयानो से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित कथित लूट का सामान अभियुक्तगण से बरामद होना साबित नही है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है। उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण से बरामदगी साबित नही है, जिसके कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 411 भा0दं0सं0 का अपराध सन्देह से परे साबित नही होता है। उक्त तर्क का निस्तारण अभियोजन के प्रतिकूल एवं अभियुक्तगण के पक्ष में किया जाता है।

32. बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन द्वारा घटना से संबंधित नक्शा नजरी साबित नही कराया गया है एवं किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नही कराया गया, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे साबित नही होता है।

33. यहां उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा घटना का एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी वादी मुकदमा को परीक्षित नही कराया गया है। पत्रावली पर घटना दिनांकित 16.05.2016 से संबंधित कोई नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद नही है। साक्षी संख्या–2 विवेचक सैय्यद हशमुद्दीन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी से संबंधित कोई बयान नही लिया है। बल्कि उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि मुकदमें से संबंधित नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार नही किया गया और ना ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्षी संख्या–3 द्वारा भी नक्शा नजरी पत्रावली पर दाखिल नही किया गया और ना ही बनाये जाने का कथन किया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी नक्शा नजरी से संबंधित कोई कथन नही किया गया। स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित नक्शा

नजरी पत्रावली पर बतौर साक्ष्य उपस्थित नही है। पुलिस द्वारा विवेचना में गम्भीर त्रुटि कारित की गयी, जिस कारण ना ही घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया और ना ही पत्रावली पर साबित कराया गया।

34. अभियोजन द्वारा अपने वाद को साबित कराने हेतु तीन साक्षीगण न्यायालय के समने परीक्षित कराये गये। साक्षी संख्या–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि "इस मुकदमे से पहले मैं थाने पर पांच माह पूर्व तैनात था। इस मु0अ0सं0 के वादी का नाम मुझे याद नही। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2016 को वादी मुकदमा लेकर आये थे। उसके साथ कौन–कौन थे उनके नाम मुझे पता नही। वादी मुकदमा ने मुझे किसी अभियुक्त का नाम नही बताया था। थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर मैने जी.डी. में इन्द्राज किया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। उपरोक्त वाद में मैं विवेचना में शामिन नही रहा। जी.डी. में इन्द्राज के अलावा मेरा कोई रोल नही है। उपरोक्त घटना से 5–6 महीने से पहले थाने पर तैनात था। यह मेरे सकेन्डरी बयान है। मेरे समय सुखबीर मुन्शी द्वारा कोई तहरीर नही दी थी और उपरोक्त मुकदमात से संबंधित माल मुकदमा मेरे सामने लिखा गया, लेकिन कोई माल मेरे सामने बरामद नही हुआ, जो एस.आई. द्वारा फर्द बरामदगी तैयार कराई गई थी वह मेरे द्वारा जी.डी. व कम्प्यूटर में मेरे द्वारा नही कराई गयी थी। उपरोक्त मुकदमे के विवेचक ने मेरा कभी कोई बयान नही लिया। इस पूर्व विवेचना में मेरा कोई रोल नही रहा। सुखबीर सिंह के द्वारा फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर मेरे सामने कराये गये थे। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण सोनू व अंकित से कोई माल बरामद नही किया गया है न ही गिरफ्तारी की गई है।"

35. साक्षी संख्या–2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि "मैं उक्त थाने पर स्थानांतरण होकर आया था। मेरे से पहले उक्त मुकदमे की विवेचना चल रही थी। उक्त विवेचना मुझे उक्त केस के बीच ही मिली थी। उक्त वाद के अभियुक्त की गिरफ्तारी मेरे द्वारा नही ी गयी और न ही मेरे द्वारा कोई बरामदगी की गयी और मैने उपरोक्त मुकदमे से संबंधित नक्शा नजरी तैयार नही की और न ही मेरे द्वारा आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया।"

36. साक्षी संख्या–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि "मैं थाना कोतवाली देहात में नियुक्ति से पूर्व थाना सरसावा पर बतौर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। अभियुक्तगण को एस.आई. लविक त्यगी द्वारा गिरफ्तार कर थाने लाया गया था, जब मैने अभियक्तगण से पूछ–ताछ की तो वह थाने की हवालात में बंद थे। मेरे सामने बयान से पूर्व अभियुक्तगण की जामातलाशी नही ली गई थी। मेरे द्वारा एस.आई. लविक त्यागी के द्वारा की गई गिरफ्तारी के संबंध में कोई जांच अपने स्तर से नही की गई थी। मैने एस.आई. लविक त्यागी के द्वारा की गई गिरफ्तारी सही मानकर अभियुक्तगण से पूछ–ताछ की थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी गलत दिखाई गई हो और मैने पुलिस कारगुजारी दिखाने के लिये गलत पूछ–ताछ करना दिखाया हो। मैने अभियुक्तगण से कोई पूछताछ न की हो और कुल कार्यवाही थाने में बैठकर झूठी व फर्जी की हो।"

37. उपरोक्त वर्णित साक्ष्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मात्र तीन साक्षियो को परीक्षित कराया गया। वादी मुकदमा जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उससे ना ही अभियुक्तगण की पहचान कराई गयी और ना ही उक्त साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। साक्षी संख्या–1 ता 3 पुलिस के साक्षी है। साक्षी संख्या–1 चिक लेखक है उसके द्वारा ना घटना देखी गयी और ना ही विवेचना में प्रतिभाग किया गया और ना ही उसके सामने कोई बरामदगी हुई। साक्षी संख्या–2 के समक्ष भी कोई बरामदगी नही हुई। उक्त साक्षी द्वारा कोई नक्शा नजरी नही बनाया गया और ना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्षी संख्या–3 एस.एच.ओ. द्वारा घटना की विवेचना में प्रतिभाग नही किया गया। उक्त तीनो साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है। उक्त तीनो साक्षियो के बयानो के विश्लेषण से साक्षियो के बयान विश्वसनीय प्रतीत नही होते है। अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया है। अतः न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल पाता है कि अभियोजन द्वारा घटना से संबंधित नक्शा नजरी साबित नही कराया गया है एवं किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नही कराया गया, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध सन्देह से

परे साबित नही होता है।

38. उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन द्वारा घटना का नक्शा नजरी साबित नही कराया गया है एवं किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नही कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया गया है। पुलिस द्वारा विवेचना में गम्भीर लापरवाही एवं त्रुटियां कारित की गयी है। वादी मुकदमा घटना का एक मात्र चक्षुदर्शी है परन्तु पुलिस द्वारा उक्त साक्षी का बयान अंकित नही कराया गया एवं उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित वादी मुकदमा से अभियुक्तगण की पहचान नही कराई गयी। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से कथित तौर पर घटना से संबंधित माल मुकदमा बरामद नही कराया गया। घटना से संबंधित सम्पूर्ण साक्षी पुलिस के साक्षी है, जिनके बयानो में गम्भीर विरोधाभास एवं त्रुटियां दर्शित होती है, जिससे घटना अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देह से परे साबित हो सके। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **सोनू व अंकित** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 392,411,506 भा0दं0सं0 युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सोनू व अंकित आरोपित अपराध से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

39. अभियुक्त **सोनू व अंकित** को **सत्र परीक्षण संख्या 591/2017 मु0अ0सं0 263/2016** अन्तर्गत **धारा– 392,411,506 भा0दं0सं0** थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

40. अभियुक्तगण दौरान विचारण जमानत पर है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उन्मोचित किया जाता है।

41. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है धारा 437ए दं0प्र0सं0/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुपालन में पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव इसी धनराशि की दो–दो जमानते दाखिल करे, जो निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगे।

42. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः 31.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 31.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम,
सहारनपुर।